



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012024-251555
CG-DL-E-22012024-251555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2024/माघ 2, 1945

No. 47]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2024/MAGHA 2, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

संख्या 03 /2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 53(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 364क के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. सीवीआईसी-190341/4/2024-टीओ (टीआरयू-1)]

राकेश दहिया, निदेशक

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि.सं. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि.सं. 758(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2024

No. 03/2024 -Customs

G.S.R. 53(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 785 (E), dated the 30th June 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, against S. No. 364A, in column (4), for the entry, the entry “10%” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190341/4/2024-TO(TRU-I)]

RAKESH DAHIYA, Director

Note: - The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E)., dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 60/2023-Customs, dated the 19th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 758 (E)., dated the 19th October, 2023.